रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 226] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 7, 1972/आश्विन 15, 1894

No. 226] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 7, 1972/ASHVINA 15, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY 14 NOV 1972 GOVT. OF INDIA

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 7th October, 1972

SUBJECT.—*Export of hand woven woollen carpets, woollen chain stitched rugs and hand woven woollen carpets of Indo Persian and Mobarik designs upto 32,000 knots sq. metre.*

Reference.—Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 20-ETC(PN)/72 dated the 26th September, 1972, on the above subject.

No. 23-ETC(PN)/72.—It has further been decided by the Ministry of Foreign Trade that exports of consignments of hand woven woollen carpets of Indo-Persian type below Rs. 60 contracted for by 31st March, 1972 (when no price control existed) be allowed, provided such contracts had been registered with the Export Inspection Council and are now certified by the Handicrafts and Handlooms Exports Corporation of India Ltd., till 15th October, 1972. It is also notified that no further extension will be allowed.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1972

विषय.—हाथ से बुने हुए कालीनों, ऊनी लड़ी से सिले हुए गलीचों और हाथ से बुने हुए फारसी और मोबारिक डिजाइनों के ऊनी कालीनों का 32,000 गांठ वर्ग मीटर तक निर्यात ।

संदर्भ:— उपर्युक्त विषय पर विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 20 ई० टी० सी (पी एन) 172 दिनांक 26 सितम्बर, 1972.

सं० 23 ई टी सी (पी एन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय द्वारा यह निश्चय किया है कि 31 मार्च, 1972 (जब कोई मूल्य नियंत्रण नहीं था) तक की संविदा से सम्मिलित किए हुए 60 रु० से कम के भारतीय फारसी नमूने के हाथ से बुने हुए ऊनी कालीनों के माल के निर्यातों की अनुमति दी जाए बशर्ते कि ऐसी संविदाएं निर्यात् निरक्षण परिषद् द्वारा पंजीकृत की गई थीं और अब 15-10-72 तक हाथ करघा तथा हस्तशिल्प निर्यात कारपोरेशन द्वारा प्रमाणित हैं । यह भी अधिसूचित किया जाता है कि आगे अवधि-वृद्धि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972